दिनांक–19.02.2015 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में नौ शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु HUDCo के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्त्ता बैठक में विमर्शित बिन्दुओं का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही प्रतिवेदन : –

(उपस्थिति : संलग्न)

इस बैठक में नौ शहरों–भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा, राजगीर एवं बोधगया का मास्टर प्लान हडको के माध्यम से तैयार करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में हडको प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हडको द्वारा पूर्व में आठ शहरों–भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं राजगीर के मास्टर प्लान का प्रारूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत तैयार किया गया था एवं इसकी प्रति सम्बन्धित निकायों एवं विभाग को उपलब्ध कराया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक–17.01.2006 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मनोनयन के आधार पर हडको के माध्यम से उक्त आठ शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया था। इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु प्रति शहर 10 लाख रूपये एवं देय अन्य कर की राशि हडको को सम्बन्धित निकायों के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सम्बन्धित निकायों के साथ वर्ष–2007 में एकरारनामा किया गया था।

2) हडको से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त कार्यों के लिए किये गए भुगतान का विवरण निम्न है : –

क्र० सं०	निकाय का नाम	फी की कुल राशि	किये गए भुगतान की राशि
01	नगर निगम, आरा	1009180.00	498250.00
02	नगर निगम, बिहारशरीफ	1009180.00	500000.00
03	नगर निगम, दरभंगा	1009180.00	500000.00
04	नगर निगम, गया	1009180.00	671978.00
05	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	1009180.00	500000.00
06	नगर परिषद, छपरा	1009180.00	559036.00
07	नगर पंचायत, राजगीर	1009180.00	500000.00
08	नगर निगम, भागलपुर	1009180.00	1009180.00
	कुल योग	**8073440.00**	**4738444.00**

3) एक अन्य शहर बोधगया का मास्टर प्लान हडको द्वारा भारत सरकार के सहयोग से तैयार किया गया था, जिसे विभाग द्वारा वर्ष–2007 में अधिसूचित किया गया था। इस महायोजना को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अवैध घोषित करने के उपरान्त पुनः इसे तैयार करने का उच्चस्तरीय निर्णय लिया गया है।

4) उपर्युक्त वर्णित आठ शहरों के मास्टर प्लान की समीक्षा के क्रम में देखा गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत् मात्र शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा सकता है। साथ ही मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इसे कैडेस्ट्रल मैप पर Superimpose कर GIS Base में तैयार किया जाना युक्तिसंगत होगा। शहरी क्षेत्रों से वृहत्तर क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने एवं इसे प्रभावी

D2

करने के उद्देश्य से बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 अधिसूचित किया गया।

5) बैठक में शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वर्त्तमान प्रभावी बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के आलोक में नगर निकायों से वृहत्तर क्षेत्रों के लिए GIS Based Master Plan Superimposed on Cadestral Map तैयार किये जाने पर विचार विमर्श किया गया।

6) उक्त कार्य हेतु कैडेस्ट्रल मैप, GIS Data एवं Maps एवं अन्य वांछित आकड़ों की उपलब्धता की जानकारी DFID-SPUR एवं भू-राजस्व विभाग के कार्यालय से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

7) उक्त शहरों के मास्टर प्लान का प्रारूप वर्ष–2001 आधारित जनगणना के आधार पर तैयार किया गया था, जिसे वर्ष–2011 के जनगणना के आधार पर अगले बीस वर्षो (2015–35) के लिए तैयार करने का निर्णय लिया गया।

8) बैठक में इन शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु आयोजना क्षेत्र के सीमांकन पर विचार विमर्श किया गया एवं निदेश दिया गया कि सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई की जाय। राजगीर एवं बोधगया आयोजना क्षेत्र के विभागीय प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

9) हडको के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उपर्युक्त विमर्शित बिन्दुओं तथा वर्त्तमान में उक्त शहरों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत संरचनाओं में हुई वृद्धि के आलोक में मास्टर प्लान तैयार करने हेतु Scope of works एवं Terms of Refrence में संशोधन की आवश्यकता है।

10) बैठक में निदेश दिया गया कि इन शहरों के मास्टर प्लान के प्रारूप के प्रस्तावित उपयोग एवं पूर्व में किये गऐ कार्यों के मुल्यांकन के आलोक में हडको द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया जाय ताकि उक्त नौ शहरों के मास्टर प्लान हडको के माध्यम से तैयार करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

सधन्यवाद, बैठक समाप्त किया गया।

ह0/–
(बी० राजेन्दर, ~~भा०प्र०से०~~)
सचिव।

ज्ञापांक – 11 न०वि०/मा०प्ला०–09/2013..118.. न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–23/2/15

प्रतिलिपि –संयुक्त सचिव–सह–निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/ क्षेत्रीये प्रमुख हडको, द्वितीय तल, ब्लॉक बी–2, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, पटना–01, Email-hudcopro@gmail.com /माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री हरिशंकर सिंह एवं श्री कुमार सर्वानन्द, सहायक निदेशक, टी०सी०पी०ओ०, Email-tcpobihar@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.2.2015

सचिव।

D2